MR. DEPUTY SPEAKER: They are not points of order at all....This is not the way you should conduct yourselves.

Mr Jaffer Sharief, you please go ahead.....

(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): Please sit down. Listen to him. He is making an important statement.

MR. DEPUTY SPEAKER: I am not permitting anyone to raise any point of order.

Now Mr. Jaffer Sharief

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): Sir, with deep anguish I apprise the House of an unfortunate accident which took place on the South Central Railway yesterday. At about 18.00 hours last evening, while 121 Up Tamil Nadu Express was running through Ralapet station of South Central Railway, 17 coaches which were 3rd to 19th from the train engine, derailed of which 5 capsized interrupting through traffic. The engine alongwith first two coaches and the rearmost two coaches remained on track.

I regret to say that according to the information so far available, 14 persons have lost their lives and another 84 were injured.

On receipt of information, medical vans were despatched from Kazipet, Wardha and Secunderabad. Asstt. Divisional Medical Officer, Bellampalli alongwith railway and private doctors, rushed to the site. Meanwhile, doctors and nurses from ESI Hospital, Sirpur Kaghaznagar reached the site to render medical assistance to injured. Doctors from Singarani Colliery also reached the site.

After being rendered first aid the injured were admitted in the hospital at Sirpur Kaghaznagar. General Manager accompanied by Head of Departments, Divisional Railway Manager and other senior railway officers also proceeded to the site. Member Mechanical Engineering and Member Engineering, Railway Board proceeded to the site by air this morning to ensure adequacy of relief operations.

Ex-gratia relief to the next of kin of the deed and to the injured has been arranged.

The Commissioner of Railway Safety is expected to commence his statutory enquiry into this accident on 3-9-1981.

The section is expected to be restored by 8 A.M. on 2-9-1981.

14.37 hrs.

ECONOMIC OFFENCES (INAPPLICABILITY OF LIMITATION) AMENDMENT BIILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): Sir, on behalf of Shri Narayan Datt Tiwari I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Act, 1974.....

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Acts 1974."

Shri Jaipal Singh Kashyap—are you objecting to the introduction of this Bill? ....

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are yourself responsible for this. Mr. Kashyap, are you opposing the introduction of the Bill? . . .

*(Interruptions)***

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II Section 2, dated 1-9-1981.

**Not recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not permitting anybody. Nothing will go on record.

Mr. Kashyap, Others may please sit down. Let us know the parliamentary procedure.....

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY SPEAKER: Let us know what is the parliamentary procedure. Don't record anything.....

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please.

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA (Dausa): I want to draw your attention....

MR. DEPUTY SPEAKER: The Member is already on his legs.....

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: That is true. But I want to draw your attention to the remarks made by hon. Member, Shri Bagri.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That has not been recorded. Nothing goes on record without my permission.

Mr. Kashyap, you please go ahead.

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मेरे शब्द यहां लिखवा दो फिर मुझे फांसी चढ़वा देना 302 में ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आबंला) : उपाध्यक्ष जी, इकोनामिक आफ़ेंसेज अमेण्डमेंट बिल पर मुझे .....

श्री नवल किशोर शर्मा : इनके लिए * इन्तजाम होना चाहिए ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : अब तक इस देश में जो आर्थिक अपराध हुए हैं प्रोसीक्यूशन की परम्परा यह रही है कि उनको दबाया जाय ।

SHRI N. K. SHEJWALKAR (Gwalior): Sir, I rise on a point of order. What happened to matters under 377?

MR. DEPUTY-SPEAKER: It will come after the introduction of the Bill.

श्री जयपाल सिंह कश्यप : जो आर्थिक और औद्योगिक मामलों में अपराध रहे हैं उनको छिपाने की और असली अपराधियों को बचाने की मनोवृत्ति रही है, और प्रोसीक्यूशन यह करता रहा है । उसमें डिले करता रहा । और जब कभी प्रौसीक्यूशन की नौबत आती भी थी तो लिमिटेशन पीरियड होने की वजह से प्रोसीक्यूशन नहीं हो पाता था । अब लिमिटेशन पीरियड के उस क्लाज को खत्म कर के सरकार ने अच्छा सराहनीय कार्य किया है जिसे कम से कम जो आर्थिक अपराध से बचने की कोशिश करते थे अब वह किसी भी समय दंडित हो जायेंगे । लेकिन इस बिल का जो स्कोप है और पब्लिक पौलिसी का जो एक कांस्टीट्यूशनल मैटर है उस पर भी गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रौसीक्यूशन एजेन्सीज इन सारे औफ़ेन्सेज को दबाने और छिपाने के तरीके अपनाती रही हैं और डिलेइंग टैक्टिक्स अडाप्ट करती रहीं । डिलेइंग टैक्टिक्स और बढ़ जायेंगी क्योंकि प्रौसीक्यूशन एजेन्सीज मामलों को लम्बे से लम्बे समय तक ले जायेंगी । इन आर्थिक और औद्योगिक अपराधों को छिपाने के लिए गलत ढंग से जो धन है वह ऐजेन्सीज ने लिया है, ऐसी शिकायतें प्रौसीक्यूशन के खिलाफ़ आती रही हैं । इसलिए ऐसा नियम बनना चाहिए कि प्रौसीक्यूशन ऐजेन्सीज की तरफ़ से जैसे ही उनको सूचना मिले कि कोई क्राइम हुआ है उसके बारे में फ़ौरन केस रजिस्टर होते ही एक

**Expunged as ordered by the Chair.

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

निश्चित समय में अपना इन्वेस्टीगेशन कम्प्लीट कर लेना चाहिए और प्रौसीक्यूशन शुरू करना चाहिए ताकि अपराधी जल्दी से जल्दी सजा पा सके और प्रौसीडिंग्स लिंगर न हो सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक इस चीज को नहीं बढ़ाते हैं, इसके स्कोप को नहीं बढ़ाते हैं तब तक इस बिल को लाने का मकसद पूरा नहीं होगा। अभियोग चलाने के लिए प्रौसीक्यूशन के लिए समय की सीमा नहीं होनी चाहिए, इससे हम सहमत हैं। और जितने भी अपराध हैं, माइनर आफेंसेज को छोड़ कर, किसी पर भी लिमिटेशन की बाधा नहीं होनी चाहिए। चाहे किसी तरह के आफेंसेज हो। क्योंकि संविधान में भी प्रोवीजन है कि किसी भी तरह के आफेंस में भेदभाव नहीं किया जायगा। इसमें कोई शक नहीं कि पूंजीवादी मनोवृत्ति के लोग इस तरह के आफेंसेज को बढ़ावा देते हैं और यहां के श्रमिकों और नागरिकों के साथ अन्याय करते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई ढील नहीं होनी चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। ऐसी हालत में इस बिल का दुरुपयोग न हो सके और डिलेइंग टैक्टिक्स प्रौसीक्यूशन न अपना सके। . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are opposing the introduction itself. So, you need not go into details of it. You go only into the constitutional propriety of it.

SHRI JAI PAL SINGH KASHYAP: I will not go into them.

इसलिए इस अमेण्डमेंट बिल में कम से कम एक मार्गदर्शक नियम बना देना चाहिए प्रौसीक्यूशन किस ढंग से काम को करेगा ताकि सारे मामले जल्दी से जल्दी इसमें आ सकें। जब तक कोई गाइडलाइन्स तय नहीं करते हैं तब तक यह आर्बिट्ररी और डिस्क्रीशनरी होगा और हम इसके मकसद को पूरा नहीं कर पायेंगे। और हमेशा इसमें मनमाना प्रोसीक्यूशन अथारिटी और ओफेन्स करने वाले दोनों करते रहेंगे, इसलिए इस बिल के स्कोप को बढ़ाया जाये और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसमें इसका विस्तार किया जाये।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष जी, इस बिल का, ओरिजिनली तौर पर जो 1974 का है और उसमें जो यह अमेंडमेण्ट किया जा रहा है लिमिटेशन के मामले पर, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन खासतौर जो जो हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर हैं, योजना मंत्री जो हैं, उनसे फण्डामैंटली और कांस्टीट्यूशनली प्रावीजन के बारे में . . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you opposing the introduction of the Bill?

SHRI JAGPAL SINGH: I am opposing.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): Mr. Deputy Speaker, Sir, there is Rule 72. How can he make a general speech?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You don't go into the details. You have only to restrict yourself to constitutional aspects.

श्री जगपाल सिंह : कांस्टीट्यूशनली ही मैं इस बिल का अपोज करता हूं, क्योंकि हमारे कांस्टीट्यूशन में, जो भी इकनामिक कण्डीशन देश में हैं, जो आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं, उनको रोकने में यह सरकार असमर्थ रही है।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह इस बिल का समर्थन कर रहे थे, अब विरोध कर रहे हैं।

श्री जगपाल सिंह : कांस्टीट्यूशनली भी मैं इसका विरोध इस दृष्टि से करता हूं . . . .

श्रीमति विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

MR. DEPUTY SPEAKER: He is opposing it constitutionally. Please complete your submission.

श्री जगपाल सिंह : मैं इस का इसलिए विरोध कर रहा हूं कि हमारे आर्थिक अपराधों की दृष्टि से अभी तक का एक्ट बिल्कुल इन-सफिशिएंट साबित हुआ है। इस में लिमिटेशन्स को खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन इसके प्राविजन से आप आर्थिक अपराधों को रोक नहीं पायेंगे, ऐसी मुझे शंका है क्योंकि इस के अन्दर कोई प्राविजन ऐसा नहीं है। कोई मशीनरी किस तरीके से इस का ट्रायल करेगी ऐसा कोई प्राविजन इस में नहीं है। मैं इस दृष्टि से भी इस का अपोज कर रहा हूं क्योंकि आर्थिक अपराधों के पीछे हमारा कैपिटलिस्टिक सिस्टम है। मैं कांस्टीट्यूशनली डिमांड करता हूं कि आप इस पर ज्यादा सख्त प्राविजन लायें ताकि हमारे देश में लोगों का, चाहे पीजेन्टरी आफ वर्किंग क्लास हो, उन का एक्सप्लायटेशन रुके। मेरे विचार से इस अमेंडमेंट से आप आर्थिक अपराधों को नहीं रोक पायेंगे और आप की गवर्नमेंट लिटी कैपिटलिस्टिक है, इस लिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री चरणजीत चानना :

Sir, both the hon. Members who have raised the points have infact were contradicting themselves. First of all Mr. Kashyap said:—

यह सराहनीय काम है और जगपाल सिंह ने कहा है कि मैं समर्थन करता हूं। जो जैनविन बात थी, वह इन के दिल से निकल गई लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि कहां बैठे हैं इसलिये हम को और बात बोलनी चाहिये।

मैं यही सजैस्ट करूंगा कि अगर आप इस बिल के ऑबजैक्ट्स एंड रीजन्स का स्टेटमेंट पढ़ें तो उस में वही बात है, जो आप कह रहे हैं। अगर सारा एक्ट पढ़ें तो इसमें रूल्स लिखे हैं, प्राविजन लिखे हुए हैं, सारी बातें जो आप कह रहे हैं, इस में हैं। केवल इसलिये कि इकनामिक आफेन्सेज जो हैं, आई (डी० आर०) एक्ट में वह अन-पनिश्ड न हो जायें, इसलिये यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया जा रहा है। जो बात आप कह रहे हैं, अगर इस को आप पढ़ लें तो आप अपनी बात विदड्रा कर लेंगे, मैं इस के बारे में श्योर हूं। इसलिये आप मुझे इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करने की इजाजत देंगे, ऐसी मुझे आशा है।

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Act, 1974."

The motion was adopted.

SHRI CHARANJIT CHANANA : Sir, I introduce the Bill.

14.50 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) WAR EXERCISES BY PAKISTAN FORCES ON RAJASTHAN BORDER.

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बाड़मेर तथा जैसलमेर से जो पाकिस्तान का लगा हुआ सिंध क्षेत्र है, वहां पाकिस्तानी सेना युद्ध-अभ्यास में लगी हुई है। यहां से कुछ दूर नगर छोड़ तथा चीलस्तान के पास वह परमाणु विस्फोट करना चाहते थे, पर अब ऐसा विदित हो रहा है कि शायद वहां खुदाई के पश्चात् तेल मिलने की सम्भावना है। अतः वह परमाणु विस्फोट इस क्षेत्र में न कर के जैसलमेर से सटे सिंध के रेगिस्तान में करना चाहता है।

पाकिस्तान हर मूल्य पर टैंक, बमवर्षक हवाई जहाज, हैलीकोप्टर, रडार, तोपें, मिसाइल आदि प्राप्त करने में लगा हुआ है।